# निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 13/अपील/21 तारीख दायरा: 25.02.2021

सैयद सादिक अली पुत्र श्री यासिन अली आयु 48 वर्ष जाति मुसलमान भूतपूर्व डीलर शेरपुर ।। उचित मूल्य की दुकान निवासी पिड़ावा तहसील पिड़ावा (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये जिला रसद अधिकारी,झालावाड़

अपील बनाराजी निर्णय माननीय जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ दिनांक 29.01.2021 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 80/2019 उनवान सरकार बनाम सैयद सादिक अली

उपस्थित:— श्री बच्चूलाल, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार रसद

—: निर्णय :— दिनांक: 03.08.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी झालावाड़ के प्राधिकार पत्र निरस्तगी के आदेश कमांकः 80/2019/दिनांक 29.01.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित किया है कि अपीलान्ट उचित मूल्य की दुकान शेरपुर ।। पिड़ावा का राशन डीलर था। जिला रसद अधिकारी का निर्णय कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये जवाब को नजर अदांज किया गया। बरसात अधिक होने के कारण गेंहू व शक्कर बिल्कुल खराब हो गये थे तथा आपूर्ति करने लायक नही रहे थे इस कारण समय पर अटेच डीलर को गेहूं व शक्कर सम्हलायी नही जा सकी न इस तथ्य की जांच करवाई । जिला रसद अधिकारी द्वारा इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया गया कि स्टॉक में दर्ज खाद्य पदार्थ को उचित मूल्य दुकानदार को सम्हला दिया जिससे राज्य सरकार को कोई आर्थिक हानि नही हुई है। इस तरह के अन्य मामलों में जिला रसद अधिकारी द्वारा मामूली दण्डित करके लाईसेंस को बहाल किया गया है। इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि माल कम आया तथा बिल भी नही आया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध शिकायतों के पत्र बताये है लेकिन ये कौन लोग थे उनके नाम पते स्पष्ट नही है । अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त होने से परिवार के सामने भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई है। जिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनांक 29.01.2021 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की डीलर शिप को बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से सबंधित अभिलेख तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अपीलान्ट उचित मूल्य की दुकान शेरपुर ।। पिड़ावा का राशन डीलर था जो अनेक वर्षों से खाद्य पदार्थों की जनता को आपूर्ति करता था। जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस दिया जिसका जवाब अपीलान्ट द्वारा पेश किया किन्तु जिला रसद अधिकारी ने जवाब का विवेचन व गौर किये बगैर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में प्राधिकार पत्र दिनांक 29.01.2021 को निरस्त कर दिया व प्रतिभूति राशि जप्त सरकार करली। जिला रसद अधिकारी का निर्णय कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये जवाब को नजर अदांज किया गया,अपीलान्ट ने यह स्पष्ट किया था कि बरसात अधिक होने के कारण गेंहू व शक्कर बिल्कुल खराब हो गये थे तथा आपूर्ति करने लायक नही रहे थे इस कारण समय पर अटेच डीलर को गेहूं व शक्कर सम्हलायी नही जा सकी । अपीलान्ट द्वारा स्टोक में दर्ज खाद्य पदार्थ को उचित मूल्य दुकानदार

को सम्हला दिया जिससे राज्य सरकार को कोई आर्थिक हानि नही हुई है। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन की पालना में ऐसी जांच की कार्यवाही तीन महिने में पूरी होनी चाहिये उस समयावधि के पश्चात की गई कार्यवाही अवैध व शून्य है । अतःजिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनांक 29.01.2021 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

पेरोकार रसद ने बताया कि भूतपूर्व डीलर शेरपुर ।। उचित मूल्य की दुकान पिड़ावा के विरूद्ध ग्राम वासियान गुराडिया द्वारा दिनांकः 30.09.2019 को जिला रसद अधिकारी को की जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक झालावाड़ द्वारा उक्त राशन डीलर द्वारा अनियमितता बाबत जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को रिपोर्ट करने पर आदेशः 6816 दिनांकः 01.10.2019 से उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत शेरपुर ।। तहसील पिड़ावा का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। निलम्बित डीलर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.10.2019 को जारी किया गया। बकाया राशन सामग्री अटेच डीलर को हस्तान्तरित नही करने पर नोटिस 6075 दिनांकः 24.06.2020 को जारी किया गया जिसका जवाब अपीलान्ट डीलर द्वारा दिनांकः 20.07.2020 को देते हुए कहा कि जो गेंहू सप्लाई किया गया था वह अतिवृष्टि के भीगा प्राप्त हुआ व खराब हो गया था,शंका है कि जो मेरे उपर बकाया बताया गया है उतना गेंहू प्राप्त नही किया गया था । उक्त जवाब के आधार पर प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति राराखाआनि,झालावाड़ से स्थिति स्पष्ट करने बाबत लिखा जाने पर स्थिति स्पष्ट की गई कि उन्हे गेंहू आपूर्ति किया गया है उक्त आधार पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.07.2020 को प्रस्तुत जवाब को असन्तोषप्रद माना जाकर पुनः दिनांक 09.10.2020 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। डीलर द्वारा बकाया स्टॉक का हस्तान्तरण नही किया जाने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक को उक्त डीलर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु निर्देशित किया। डीलर द्वारा दिनांक 07.12.2020 को सम्बन्धित को स्टॉक हस्तान्तरण बाबत प्रा०पत्र प्रस्तुत कर अंकन किया कि उनके द्वारा समस्त बकाया स्टॉक का हस्तान्तरण सम्बन्धित को कर दिया गया है व दिनांक 30.12.2020 को रसीद प्रस्तुत की गई, जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 13.01.2021 को स्टॉक हस्तान्तरण बाबत रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी को की गई।

पेरोकार सरकार ने बताया कि निलम्बित डीलर को निलम्बन के पश्चात नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के पर्याप्त मौके देने, प्राधिकार पत्र निलम्बित होने के उपरान्त सामग्री लोटाने को गबन की श्रेणी में व अनियमितता मानते हुए प्राधिकार पत्र को दिनांक 29.01.2021 को निरस्त कर दिया गया है बिल्कुल सही है, अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध ग्राम वासियान गुराडिया द्वारा दिनांकः 30.09.2019 को जिला रसद अधिकारी को शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक झालावाड़ द्वारा उक्त राशन डीलर द्वारा अनियमितता बाबत जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को रिपोर्ट करने पर जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा दिनांकः 01.10.2019 से उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत शेरपुर ।। तहसील पिड़ावा का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। तत्पश्चात स्टॉक को सम्बन्धित अटेच डीलर. को हस्तान्तरित नही किये जाने पर उक्त उचित मूल्य दुकानदार को नोटिस दिनांक 24.06.2020, 09.10.2020 जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा बकाया स्टॉक का हस्तान्तरण सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानदार को नही किये जाने पर दिनांकः 23.10.2020 से प्रर्वतन निरीक्षक को एफ आई आर दर्ज कराने हेतु भी निर्देशित किया गया। निलम्बित उचित मूल्य दुकानदार द्वारा बकाया स्टॉक को सम्बन्धित उचित मूल्य दुकानदार को दिनांक 30.12.2020 लगभग 15 माह पश्चात स्थानान्तरित किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार की शिकायत प्राप्त होने पर उसका प्राधिकार पत्र दिनांक 01.10.2019 को निलम्बित कर अपीलान्ट को सुनवाई के पर्याप्त मौके दिये गये। दिनांक 07.07.2020 को पेश जवाब में कम

सामान मिलने की शंका व भीगा माल बताया परन्तु शिकायत का खण्डन नही किया। दिये गये नोटिसों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने पर भी अपीलान्ट द्वारा कोई स्पष्ट एंव संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नही किया गया व 15 माह पश्चात अवशेष स्टाक को सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानदार को हस्तान्तरण किया जाना साबित है । खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर द्वारा आदेशों के कम में निलम्बन के पश्चात 90 दिन के अन्दर जांच पूर्ण कर जिला रसद अधिकारी को अपना निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अपीलान्ट को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जानुबूझ कर जवाब अधीनस्थ जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत नही करने, 15 माह पश्चात अवशेष स्टाक को सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानदार को हस्तान्तरण पर प्रकरण संख्या– 80/2019 में निर्णय दिनांक 29.01.2021 पारित किया गया है जो नियमानुसार विधि संगत पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट अनियमितता का दोषी पाया जाता है। 03 माह की अवधि में निस्तारण में देरी जिला रसद अधिकारी के स्तर से नही की गई बल्कि अपीलान्ट के खुद के जवाब नही देने व सामग्री नही लोटाने के कारण हुई है। जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2021 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/8/2021

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़